न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2335–तीन/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2002– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 92/1986–87 निगरानी

1– तोफान वाई पत्नि स्व0एहमद
2– अल्ताफ 3– रामशाख 4– जिब्बो
5– मुब्बो 6– जुम्मा सभी पुत्र/पुत्रियां एहमद
7– महिला जैनला पुत्री गफूरखां
8– उमर 9– हसन पुत्रगण गफूरखॉ
10– महिला आशा पुत्री गफूर खॉ
11– गफ्फार खॉ 12– सत्तार
13– फारूख 14– अनवर सभी पुत्रगण
गफूर खॉ निवासी ग्राम श्योपुर कलॉ
तहसील व जिला श्योपुर कलॉ ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– अग्रवाल समाज श्योपुर कलॉ व्दारा
अध्यक्ष लक्ष्मीचंद सर्राफ फोत वारिस
हरिश्चन्द्र मिततल पुत्र गुलाबचन्द सर्राफ
निवासी मैन रोड श्योपुर कलॉ ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(आवेदक 1 के पैनल लायर)
(अनावेदक–2 के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(दिनांक 1 फरवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 92/86–87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–6–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सॅक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर कलॉ को प्रार्थना पत्र देकर श्योपुरकलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 738 रकबा 17 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) धर्मशाला निर्माण हेतु व्यवस्थापित किये जाने की मांग की गई। अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 25/85-86 पुनरीक्षण पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30-12-1986 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ के प्रकरण क्रमांक 2/85-86 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 30-6-86 (जिसके व्दारा वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के स्वामित्व की प्रमाणित होने से उनके नाम दर्ज की गई है) निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी किये जाने पर प्रकरण क्रमांक 92/1986-87 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 29 जून 2002 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो मे उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के प्रकरण क्रमांक 25/85-86 पुनरीक्षण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह प्रकरण अनावेदक की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर कलॉ को प्रार्थना पत्र देकर श्योपुरकलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 738 रकबा 17 विसवा की धर्मशाला निर्माण हेतु व्यवस्थापित किये जाने की मांग पर कायम हुआ है अर्थात स्वमेव निगरानी के प्रकरण की अथवा निगरानी नहीं थी, इस प्रकार के भूमि आवंटन की मॉग के आवेदन पर प्रारंभ हुये प्रकरण को अपर कलेक्टर व्दारा स्वस्तर से

स्वमेव निगरानी में दर्ज कर लेना एंव स्वमेव निगरानी पर सुनवाई करना न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्व होना पाया गया है।

5/ अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अग्रवाल समाज श्योपुर कलॉ की ओर से अध्यक्ष लक्ष्मीचंद सर्राफ ने श्योपुरकलॉ की भूमि सर्वे कमांक 738 रकबा 17 विसवा की धर्मशाला निर्माण हेतु मांग की गई, तब उनका आवेदन अपर कलेक्टर ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को जांच हेतु भेजा है तहसीलदार का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 5-9-86 अपर कलेक्टर के प्रकरण में आर्डरशीट समाप्त होने के वाद पृष्ठ-एक है जिसमें निम्नानुसार प्रतिवेदन दिया गया है :-

" आराजी नंबर 738 रकबा 17 विसवा का पूरा रकबा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 2/84-85 अ-1 आदेश दिनांक 30-6-86 व्दारा ऐमना बाई वेवा गफूर खॉ, अहमद पुत्र गफूर खॉ, जुम्मा पुत्र गफूर खॉ , महिला जेना पुत्री गफूर खॉ, उमर पुत्र गफूर खॉ, महिला आशा पुत्री गफूर खॉ , गफफार पुत्र गफूर खॉ , सत्तार पुत्र गफूर खॉ, फारूक पुत्र गफूर खॉ, अनवर पुत्र गफूर खॉ निवासी श्योपुर को भूमिस्वामी स्वत्व पर प्रदान किये गये हैं। भूमि शासकीय नहीं बल्कि उक्त आदेश पारित होने व उसका इन्द्राज अभिलेख में दर्ज होने से वह भूमिस्वामी स्वत्व की है। भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का व्यवस्थापन धर्मशाला के नाम नही किया जा सकता। "

विचार योग्य है कि जब एक वार प्रशासकीय अधिकारियों व्दारा जॉच उपरांत भूमिस्वामी स्वत्व पर वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम पर प्रदान कर दी गई, उसी भूमि को धर्मशाला प्रयोजना के लिये अग्रवाल समाज को व्यवस्थापित करने के लिये क्या आवेदकगण से छुड़ाया जाना उचित है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 अथवा राजस्व पुस्तक परिपत्र में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भूमिस्वामी की भूमि अधिग्रहण किये के बिना प्रशासन व्दारा प्रशासकीय आधारों पर वापिस लेकर किसी विशेष

समाज को व्यवस्थापित कर दी जावे। स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण क्रमांक 25/85-86 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 30-12-1986 दूषित होकर नियमानुसार नहीं है और इस तथ्य पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 92/86-87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-6-2002 में ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 92/86-87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-6-2002 एंव अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण क्रमांक 25/85-86 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 30-12-1986 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/85-86 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 30-6-86 स्थिर रखते हुये आवेदकगण का नाम वादग्रस्त भूमि पर पूर्ववत् शासकीय अभिलेख में अंकित किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर